



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092020-221806
CG-DL-E-17092020-221806

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2834]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2020/भाद्र 26, 1942

No. 2834]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2020/BHADRA 26, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2020

सं. 89/2020- सीमाशुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3182(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उपधारा (34) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचना संख्या 40/2012-सीमाशुल्क (गै. टै.) दिनांक 2 मई, 2012 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का. आ. 993(अ), दिनांक 2 मई, 2012 के तहत प्रकाशित किया गया था, में आगे और भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

i. क्रम संख्या 3 के समक्ष कॉलम (3) में, मद (viii) के बाद निम्नलिखित मद को स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(viiiia) धारा 28DA;”.

ii. क्रम संख्या 4 के समक्ष कॉलम (3) में, मद (ia) के बाद निम्नलिखित मद को स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ib) धारा 28DA;”.

iii. क्रम संख्या 5 के समक्ष कॉलम (3) में,-

क. मद (iva) के बाद निम्नलिखित मद को स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ivb) धारा 30A;”;

ख. मद (vi) के बाद निम्नलिखित मद को स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(via) धारा 41A;”;

ग. मद (xi) के बाद निम्नलिखित मद को स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(xia) धारा 53 ;”.

2. यह अधिसूचना 21 सितम्बर, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 450/47/2019-सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 40/2012-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 2 मई, 2012 को का.आ. 993(अ), दिनांक 2 मई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2019-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 18 जून, 2019 को का.आ. 1974(अ), दिनांक 18 जून, 2019 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2020

No. 89/2020-Customs (N.T.)

S.O. 3182(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (34) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 40/2012-Customs (N.T.), dated the 2nd May, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 993(E), dated the 2nd May, 2012, namely: -

In the said notification, in the Table,-

- i. against serial number 3, in column 3, after item (viii), the following item shall be inserted, namely:-
“(viiiia) Section 28DA;” ;
 - ii. against serial number 4, in column (3), after item (ia), the following item shall be inserted, namely:-
“(ib) Section 28DA;” ;
 - iii. against serial number 5, in column (3),-
 - a. after item (iva), the following items shall be inserted, namely :-
“(ivb) section 30A;”;
 - b. after item (vi), the following items shall be inserted, namely :-
“(via) section 41A;”;
 - c. after item (xi), the following items shall be inserted, namely :-
“(xia) section 53 ;”.
2. This notification shall come into force on the 21st September, 2020.

[F. No. 450/47/2019-Cus.IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

Note: The principal notification number 40/2012-Customs (N.T.), dated the 2nd May, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 993(E), dated the 2nd May, 2012 and was last amended by Notification No. 43/2019-Customs (NT) dated the 18th June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1974(E) dated the 18th June, 2019.